अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन (आई एस ए) की स्थापना से संबंधित कार्य ढांचा करार

हम इस करार के पक्षकार के रूप में,

दिनांक 30 नवंबर, 2015 को आयोजित अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन (आई एस ए) से संबंधित पेरिस घोषणा और इस प्रौद्योगिकी हेतु वित्त पोषण की लागत को कम करने हेतु अपेक्षित संयुक्त प्रयास करने के लिए अपने साझी महत्वाकांक्षा का स्मरण करते हुए सौर ऊर्जा के व्यापक दोहन हेतु वर्ष 2030 तक अपेक्षित 1000 बिलियन अमरीकी डॉलर से भी अधिक के निवेश की व्यवस्था करते हुए इन जरूरतों को पूरा करने हेतु अनुकूलित भावी प्रौद्योगिकियों का मार्ग प्रशस्त करते हुए;

इस बात को स्वीकार करते हुए कि सौर ऊर्जा कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच पूर्णतः अथवा आंशिक तौर पर स्थित सौर संसाधन समृद्ध देशों को अपने देशवासियों के लिए समृद्धि, ऊर्जा सुरक्षा तथा टिकाऊ विकास करने के लिए एक अप्रत्याशित अवसर प्रदान करती है;

उन विशिष्ट एवं साझा अड़चनों को स्वीकार करते हुए जो इन देशों में सौर ऊर्जा के त्वरित एवं व्यापक प्रसार के मार्ग में अभी तक रोड़ा बनी हुई हैं;

इस बात की अभिपुष्टि करते हुए कि इन अड़चनों को दूर किया जा सकता है, यदि सौर संसाधन समृद्ध देश साथ मिलकर एक मजबूत राजनीतिक जोश एवं इरादे के साथ काम करें और यह कि अन्य बातों के साथ-साथ सभी देशों में सौर अर्थव्यवस्था, प्रौद्योगिकियों, नवाचार अथवा क्षमता निर्माण के लिए मांगों को बेहतर ढंग से एकजुट करने से लागतों को किफायती बनाने, गुणवत्ता बढ़ाने और भरोसेमंद एवं किफायती सौर ऊर्जा लाने में मदद मिलेगी जो सब के लिए सुलभ होगी;

सभी देशों के बीच समन्वयन एवं निर्णय लेने हेतु एक कारगर तंत्र स्थापित करने की इच्छा से साथ मिलकर;

निम्नानुसार सहमत हुए हैः

अनुच्छेद I
उद्देश्य

पक्षकारों ने एतद्वारा अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन (जिसे इसके बाद आई एस ए कहा गया है), की स्थापना की है, जिसके माध्यम से वे अपनी जरूरतों के अनुसार सौर ऊर्जा को बढाने संबंधी मुख्य साझा चुनौतियों को सामूहिक रूप से निपटाएंगे।

अनुच्छेद II
मार्गदर्शी सिद्धांत

1. सदस्य देश स्वैच्छिक आधार पर शुरू किए गए कार्यक्रमों तथा कार्यकलापों के माध्यम से समन्वित कार्रवाई करेंगे, जिसका उद्देश्य अन्य बातों के साथ-साथ सौर अर्थव्यवस्था, सौर प्रौद्योगिकियों, नवाचार, अनुसंधान एवं विकास तथा क्षमता निर्माण के लिए मांगों को बेहतर तरीके से एकजुट करना है।

2. इस प्रयास में सदस्य देश संबंधित संगठनों, सार्वजनिक एवं निजी स्टेक होल्डरों तथा गैर-सदस्य देशों के साथ परस्पर लाभकारी संबंध स्थापित करने के लिए गहन सहयोग एवं प्रयास करेंगे।

3. प्रत्येक सदस्य देश आई एस ए के तहत एक साझा विश्लेषणात्मक सोलर अनुप्रयोग मैपिंग, अपनी जरूरतों तथा उद्देश्यों से जुड़ी संगत सूचनाओं, इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए घरेलू उपायों और की गई अथवा की जाने वाली पहलों, मूल्य श्रृंखला एवं प्रचार-प्रसार प्रक्रिया के मार्ग में आने वाली अड़चनों के आधार पर सामूहिक कार्रवाई का लाभ प्राप्त करने के लिए उन सौर अनुप्रयोगों को साझा एवं अद्यतन करेंगे। सहयोग हेतु संभावनाओं का उल्लेख करने के लिए सचिवालय इन मूल्यांकनों से संबंधित आंकड़े का रख-रखाव करेगा।

4. प्रत्येक सदस्य राष्ट्र आई एस ए के लिए एक राष्ट्रीय फोकल बिंदु निर्धारित करेगा। राष्ट्रीय फोकल बिंदु में सदस्य राष्ट्रों में आई एस ए के संवाददाताओं का एक स्थायी नेटवर्क शामिल होगा। वे अन्य बातों के साथ-साथ एक-दूसरे के साथ और साथ ही संबंधित स्टेक होल्डरों के साथ बातचीत करेंगे, ताकि साझा हित वाले क्षेत्रों का पता लगया जा सके, कार्यक्रम प्रस्ताव तैयार किए जा सकें और आई एस के उद्देश्यों को लागू करने के संबंध में सचिवालय को सिफारिश कर सकें।

अनुच्छेद III
कार्यक्रम और अन्य कार्यकलाप

1. आई एस ए के कार्यक्रमों में सचिवालय के सहयोग से अनुच्छेद I तथा II में यथावर्णित उद्देश्यों तथा मार्गदर्शी सिद्धांतों को आगे बढ़ाने के लिए सदस्यों द्वारा की जाने वाली कार्रवाई, समन्वित रूप से शुरू की जाने वाली परियोजनाएं तथा कार्यकलाप शामिल हैं। कार्यक्रमों को इस प्रकार तैयार किया जाएगा ताकि इसका अधिक से अधिक प्रभाव हो और अधिक से अधिक संख्या में सदस्य राष्ट्रों की भागीदारी सुनिश्चित की जा सके। इनमें सरल, परिमापीय, संघटनमूलक लक्ष्य शामिल हैं।

2. कार्यक्रम संबंधी प्रस्तावों को सदस्यों द्वारा साझा की गई सूचनाओं के आधार पर सचिवालय के सहयोग से सभी राष्ट्रीय फोकल बिंदुओं के बीच खुले परामर्श के माध्यम से तैयार किया जाता है। किसी भी कार्यक्रम का प्रस्ताव किन्हीं दो सदस्यों अथवा सदस्य समूह अथवा सचिवालय द्वारा किया जा सकता है। सचिवालय सभी आई एस ए कार्यक्रमों के बीच समन्वय सुनिश्चित करता है।

3. सचिवालय कार्यक्रम प्रस्तावों को राष्ट्रीय फोकल बिंदुओं के माध्यम से डिजिटल परिचालन द्वारा सभा को परिचालित करता है। शामिल होने के इच्छुक सदस्यों द्वारा समेकन हेतु ऐसे किसी भी कार्यक्रम प्रस्ताव को खुला समझा जाता है, यदि इसे कम-से-कम दो सदस्य राष्ट्रों का समर्थन हासिल हो और दो से अधिक राष्ट्रों द्वारा कोई आपत्ति न की गई हो।

4. शामिल होने के इच्छुक सदस्यों द्वारा एक संयुक्त घोषणा के जरिये औपचारिक तौर पर किसी कार्यक्रम प्रस्ताव का अनुसमर्थन किया जाता है। किसी कार्यक्रम के क्रियान्वयन के संबंध में सभी निर्णय इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले सदस्यों द्वारा लिए जाते हैं। इसका निष्पादन सचिवालय के मार्गदर्शन एवं सहयोग से प्रत्येक सदस्य राष्ट्र द्वारा अभिनिर्धारित राष्ट्र प्रतिनिधि द्वारा किया जाता है।

5. वार्षिक कार्य योजना कार्यक्रमों तथा आई एस ए के अन्य कार्यकलापों का सिंहावलोकन होती है। इसे सचिवालय द्वारा सभा को प्रस्तुत किया जाता है जो यह सुनिश्चित करता है कि वार्षिक कार्य योजना के सभी कार्यक्रम तथा कार्यकलाप आई एस ए के समग्र उद्देश्यों के अनुरूप है।

अनुच्छेद IV
सभा

1. दोनों पक्षकार एतद्वारा सभा की स्थापना करेंगे जिसमें प्रत्येक सदस्य राष्ट्र का प्रतिनिधित्व होगा जो इस कार्यक्रम को लागू करने और इन उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु समन्वित कार्रवाई करने से संबंधित निर्णय लेंगे। इस सभा की मंत्री वर्गीय बैठक आई एस ए में वार्षिक आधार पर आयोजित की जाएगी। यह सभा विशेष परिस्थितियों में भी बैठक आयोजित कर सकता है।

2. मंत्रालय स्तर पर कार्यक्रमों का जायजा लेने और अनुच्छेद III.4 के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के प्रयोजनार्थ इसे लागू करने संबंधी निर्णय लेने के लिए सभा का अल्पावधिक सत्र आयोजित किया जाता है।

3. सभा इन्टरनेशनल सोलर अलाइअंस के अंतर्गत कार्यक्रमों और अन्य कार्यकलापों खासकर सौर ऊर्जा के परिनियोजन, निष्पादन, विश्वसनीयता तथा लागत और वित्त के पैमाने के संबंध में सम्पूर्ण प्रभाव का आकलन करती है। इस आकलन के आधार पर सदस्य इन्टरनेशनल सोलर अलाइअंस के उद्देश्य को आगे कार्यान्वित करने के बारे में सभी आवश्यक निर्णय लेते हैं।

4. सभा महानिदेशक के चयन और परिचालन बजट के अनुमोदन सहित इन्टरनेशनल सोलर अलाइअंस के कामकाज के बारे में सभी आवश्यक निर्णय लेती हैं।

5. प्रत्येक सदस्य का सभा में एक वोट होता है। प्रेक्षक और भागीदार संगठन मतदान के अधिकार के बिना इसमें भाग ले सकते हैं। कार्यविधि के प्रश्नों के संबंध में निर्णय उपस्थित सदस्यों के बहुमत और मतदान के द्वारा लिये जाते हैं। महत्वपूर्ण मुद्दों के संबंध में निर्णय उपस्थित सदस्यों के दो तिहाई बहुमत और मतदान के द्वारा लिये जाते हैं। विशिष्ट कार्यक्रमों के बारे में निर्णय इस कार्यक्रम में भाग ले रहे सदस्यों के द्वारा लिये जाते हैं।

6. 30 नवम्बर 2015 को इन्टरनेशनल सोलर अलाइअंस के संबंध में पेरिस घोषणा के द्वारा गठित इन्टरनेशनल सोलर अलाइअंस की अंतरराष्ट्रीय संचालन समिति द्वारा लिये गये सभी निर्णय सभा को प्रस्तुत किये जाते हैं ताकि इन्हें उसकी प्रथम बैठक में पारित किया जा सके।

अनुच्छेद V
सचिवालय

1. पक्षकार एतद् द्वारा इस करार के अंतर्गत अपने सामूहिक कार्य में सहायता के लिए एक सचिवालय की स्थापना करते हैं। सचिवालय में एक महानिदेशक, जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी है, और यथापेक्षित आधार पर अन्य स्टॉफ शामिल है।

2. महानिदेशक का चयन समिति द्वारा चार वर्ष की अवधि के लिए किया जाता है जिसे और एक अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है। महानिदेशक समिति के प्रति उत्तरदायी है।

3. महानिदेशक स्टॉफ की नियुक्ति, संगठन और सचिवालय के कामकाज तथा संसाधन जुटाने के लिए सभा के प्रति उत्तरदायी है।

4. सचिवालय सभा द्वारा कार्रवाई हेतु मामलों को तैयार करता है और सभा द्वारा सौंपे गए निर्णयों को कार्यान्वित करता है। यह सभा के निर्णयों के बाद समुचित कदम उठाये जाने और ऐसे निर्णयों के कार्यान्वयन में सदस्यों की कार्रवाइयों का समन्वय सुनिश्चित करता है। सचिवालय अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित कार्य भी करेगाः

क) राष्ट्रीय फोकल बिन्दुओं को कार्यक्रम के प्रस्ताव तैयार करने में और सभा को प्रस्तुत की गई सिफारिशों में सहायता करेगा;

ख) धन जुटाने सहित प्रत्येक कार्यक्रम के कार्यान्वयन में सदस्यों को मार्गदर्शन और सहयोग मुहैया कराएगा;

ग) सभा की ओर से, और किसी खास कार्यक्रम में भाग ले रहे सदस्यों के समूह के द्वारा अनुरोध किये जाने पर उनकी ओर से कार्य करेगा; और खासकर सम्बद्ध भागीदारों के साथ सम्पर्क स्थापित करेगा;

घ) सभा द्वारा यथानुमोदित इन्टरनेशनल सोलर अलाइअंस के कामकाज और उसके कार्यक्रमों के लिए अपेक्षित संचार, उपकरणों और क्रॉस-कटिंग के सभी साधन स्थापित करेगा और उनका प्रचालन करेगा।

अनुच्छेद VI
बजट और वित्तीय संसाधन

1. सचिवालय और सभा की प्रचालन लागतें तथा सहयोगी कामकाजों और क्रॉस-कटिंग कार्यकलापों से जुड़ी सभी लागतें इन्टरनेशनल सोलर अलाइअंस के बजट में सम्मिलित हैं। इन्हें निम्नलिखित से जुटाया जाता हैः

   क) इसके सदस्यों, भागीदार देशों, संयुक्त राष्ट्र और उसकी एजेंसियों तथा अन्य देशों द्वारा स्वैच्छिक अंशदानों द्वारा;

   ख) निजी क्षेत्र से स्वैच्छिक अंशदानों द्वारा। किसी संभावित हितों के टकराव की स्थिति में सचिवालय मामले को अंशदान के स्वीकरण के अनुमोदन हेतु सभा को भेजता है;

   ग)सभा द्वारा अनुमोदित विशिष्ट कार्यकलापों से उत्पन्न होने वाले राजस्व द्वारा।

2. सचिवालय समग्र निधि स्थापित करने और उसे बढ़ाने के लिए सभा के समक्ष प्रस्ताव रखेगा। समग्र निधि 16 मिलियन अमरीकी डॉलर के शुरूआती दान के साथ इन्टरनेशनल सोलर अलाइअंस के बजट के लिए राजस्व उत्पन्न करेगा।

3. भारत सरकार समग्र निधि, बुनियादी ढ़ाचे के निर्माण और आवर्ती व्यय के लिए 2016-17 से 2020-21 तक पांच वर्ष की अवधि में इन्टरनेशनल सोलर अलाइअंस को 27 मिलियन अमरीकी डॉलर का अंशदान करेगी। इसके अतिरिक्त भारत सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम नामतः भारतीय सौर ऊर्जा निगम (एसईसीआई) और भारतीय नवीकरण ऊर्जा विकास एजेंसी (आईआरईडीए) प्रत्येक ने इन्टरनेशनल सोलर अलाइअंस समग्र निधि के निर्माण के लिए 1 मिलियन अमरीकी डॉलर का अंशदान किया है।

4. आम बजट के अंतर्गत आने वाली प्रशासनिक लागतों को छोड़कर किसी विशिष्ट कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए अपेक्षित वित्तीय संसाधनों का इस कार्यक्रम में भाग ले रहे देशों द्वारा सचिवालय के सहयोग और सहायता से आकलन किया जाता है और जुटाया जाता है।

5. इन्टरनेशनल सोलर अलाइअंस के कार्यक्रमों को छोड़कर वित्तीय और प्रशासनिक कार्यकलापों को सभा द्वारा यथानुमोदित एक अलग करार के अनुसार अन्य संगठन को आउटसोंस किया जा सकता है।

6. सचिवालय इन्टरनेशनल सोलर अलाइअंस के लेखों की जांच के लिए सभा के अनुमोदन से किसी भी बाहरी लेखा परीक्षक को नियुक्त कर सकता है।

अनुच्छेद VII
सदस्य एवं भागीदार देश का दर्जा

1. सदस्यता उन देशों के लिए खुली है जो पूर्णतः अथवा अंशतः कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच पड़ते हैं और संयुक्त राष्ट्र के सदस्य हैं। ऐसे देश इस करार पर हस्ताक्षर करके और अनुसमर्थन, स्वीकरण अथवा अनुमोदन का दस्तावेज जमा करके इन्टरनेशनल सोलर अलाइअंस के सदस्य बनते हैं।

2. सभा द्वारा भागीदार देश का दर्जा उन देशों को दिया जा सकता है जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बाहर हैं और संयुक्त राष्ट्र के सदस्य हैं तथा इस करार में दिये गए उद्देश्यों और कार्यकलापों में अंशदान करने के इच्छुक हैं और अंशदान कर सकते हैं।

3. भागीदार देश कार्यक्रम में भाग ले रहे सदस्यों के अनुमोदन से इन्टरनेशनल सोलर अलाइअंस के कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए पात्र हैं।

अनुच्छेद VIII
भागीदार संगठन

1. सभा द्वारा संप्रभु राज्यों द्वारा गठित अंतर सरकारी क्षेत्रीय आर्थिक एकीकृत संगठनों तथा जिनमें से कम से कम एक आईएसए का सदस्य हो हित जिनमें संगठनों में आईएसए को उनके लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता करने की क्षमता है उन संगठनों को सभा द्वारा भागीदार संगठन का दर्जा दिया जाए।

2. किसी विशिष्ट कार्यक्रम के संदर्भ में भागीदारों के संबंध में अंतिम निर्णय इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले राष्ट्रों द्वारा सचिवालय के अनुमोदन से लिया जाता है।

3. संयुक्त राष्ट्र अपने अंगों सहित आईएसए का रणनीतिक सहभागी होगा।

अनुच्छेद IX
पर्यवेक्षक

जिन आवेदकों का आवेदन सदस्यता अथवा भागीदारी के लिए लंबित है अथवा जो आईएसए के हितों तथा लक्ष्यों को आगे ले जा सकते हैं उन्हें सभा द्वारा पर्यवेक्षक का दर्जा दिया जा सकता है।

अनुच्छेद X
आईएसए का दर्जा, विशेषाधिकार तथा उन्मुक्तियां

1. आईएसए सचिवालय मेजबान राष्ट्र करार के अंतर्गत संविदा करने की क्षमता, चल-अचल संपत्तियों के अधिग्रहण और निपटान और विधिक कार्यवाही शुरू करने के लिए वैधिक व्यक्तित्व रखेगा।

2. इसी मेजबान राष्ट्र करार के तहत, आईएसए सचिवालय उन विशेषाधिकारों, लागू कर रियायतों तथा उन्मुक्तियों का उपयोग करेगा जो मुख्यालयों में सभा द्वारा अनुमोदित कार्यों तथा कार्यक्रमों को स्वतंत्र रूप से निपटाने के लिए आवश्यक होगा।

3. प्रत्येक सदस्य के भूक्षेत्र के अंतर्गत, उसके राष्ट्रीय कानूनों के अध्यधीन और एक पृथक करार के अनुसार, यदि आवश्यक है, आईएसए सचिवालय ऐसे उन्मुक्तियों और विशेषाधिकारों का उपभोग कर सकेगा जैसे उसके कार्यों और कार्यक्रमों के स्वतंत्र निर्वाह के लिए आवश्यक हो।

अनुच्छेद XI
संशोधन तथा प्रत्याहरण

1. कोई भी सदस्य अवसंरचना करार के लागू होने के एक वर्ष समाप्त होने के पश्चात अवसंरचना करार में संशोधन का प्रस्ताव रख सकता है।

2. सभा द्वारा अवसंरचना करार में संशोधन को उपस्थित एवं मताधिकार का प्रयोग करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत से अंगीकार किया जाएगा। जब संबंधित संवैधानिक प्रक्रियाओं के अनुसार दो-तिहाई सदस्य अपनी स्वीकृति देंगे, उसके पश्चात ही ये संशोधन प्रभावी होंगे।

3. कोई भी सदस्य डिपोजिटरी को अग्रिम तौर पर तीन महीने का नोटिस देकर मौजूदा अवसंरचना करार से प्रत्याहार कर सकता है। ऐसे प्रत्याहरण की नोटिस को डिपोजिटरी द्वारा दूसरे सदस्य को अधिसूचित की जाएगी।

अनुच्छेद XII
आईएसए की पीठ

आईएसए की पीठ भारत में होगी।

अनुच्छेद XIII
हस्ताक्षर तथा प्रभावी होना

1. अवसंरचना करार का अनुसमर्थन, स्वीकरण अथवा अनुमोदन राष्ट्रों द्वारा उनकी उपयुक्त संवैधानिक प्रक्रियाओं के अनुसार संपन्न की जाएगी। यह अवसंरचना करार पंद्रहवें अनुसमर्थन, स्वीकरण अथवा अनुमोदन दस्तावेजों को जमा किए जाने के पश्चात तेरहवें दिन से लागू होगा।

2. जो सदस्य इस अवसंरचना करार के लागू होने के पश्चात अनुसमर्थन, स्वीकरण अथवा अनुमोदन दस्तावेज जमा करवाते हैं, उनके लिए यह अवसंरचना करार संगत दस्तावेजों को जमा करवाए जाने की तारीख के पश्चात तेरहवें दिन से लागू होगा।

3. आईएसए की स्थापना होने के बाद आईएसए की अंतरराष्ट्रीय संचालन समिति समाप्त हो जाएगी।

अनुच्छेद XIV
पाठ की डिपोजिटरी, पंजीकरण, प्रामाणीकरण

1. भारत गणराज्य की सरकार इस अवसंरना करार की डिपोजिटरी होगी।

2. यह अवसंरचना करार संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 102 के अनुसार डिपोजिटरी द्वारा पंजीकृत होगी।

3. डिपोजिटरी इस अवसंरचना करार की सत्यापित प्रतियां सभी पक्षकारों को प्रदान करेगा।

4. इस अवसंरचना करार का हिंदी, अंग्रेजी तथा फ्रेंच पाठ एक समान प्रामाणिक होगा तथा डिपोजिटरी के अभिलेखागार में जमा किया जाएगा।

इसके साक्ष्य में अधोहस्ताक्षरी ने विधिवत प्राधिकृत होकर इस अवसंरचना करार पर हस्ताक्षर किए हैं।

मराकास, मोरक्को में वर्ष 2016 के नवंबर महीने के 15वें दिन हिंदी, अंग्रेजी तथा फ्रेंच भाषाओं में संपन्न किया गया, सभी पाठ एक समान प्रामाणिक होंगे।